न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण **GCMS NO 2018/ 00200**
दायरा तिथि : 02.07.2018
निर्णय तिथि : 24-02-26

वादीगण :–

1. गजाराम पुत्र वागाजी
2. रताराम पुत्र वागाजी जातिगण देवासी
   निवासीगण मोरीगांव तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. विक्रमसिंह पुत्र ओमदाजी जाति माली
   निवासी ऑटो युनियन जवाई बांध रोड, सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थितिः–

1. श्री हिम्मत धनेरा .....अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. प्रतिवादी संख्या–01 अनुपस्थित।
3. नायब तहसीलदार पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक 24-02-26

वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर सरहद मौजा बेडा द्वितीय स्थित भूमि खसरा नंबर रकबा 5.80 हैक्टर मेंसे 2.60 हैक्टर एवं खसरा नंबर 3733 रकबा 6.26 हैक्टर संपुर्ण कुल रकबा 8.86 हैक्टर किस्म नहरी द्वितीय वर्ष 1995 में माजीसा बेडा व उनके पुत्रो से निम्न पाडौस स्थित भूमि खरीद करने से वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने के साथ प्रतिवादीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया:–

उत्तर में– देवगिरी जाने का रास्ता
दक्षिण में– खातेदारी भूमि खसरा नंबर 3735, 3734 एवं मंदिर 3732/1 खोदारी भूमि 3732
पुर्व में– बाली पिण्डवाडा सडक
पश्चिम में– खसरा नम्बर 3736/1 की खातेदारी भूमि रकबा 3.20 हैक्टर, जो श्रीमति भंवरीदेवी पत्नि प्रकाशकुमार ब्राहमण भाटून्द की भूमि तथा बाद खातेदारी घोषणा विभाजन की डिक्री भी जारी किये जाने का निवेदन किया। वादीगण ने इसका आधार यह बताया कि उक्त भूमि बेडा फार्म के नाम से जानी पहचानी जाती हैं। तथा उक्त भूमि पर कब्जा काश्त प्रारम्भ से बेडा ठिकाने का रहा है। वादीगण ने उक्त भूमि वर्ष 1995 में खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। अधिकार अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या–01 का नाम दर्ज होने से वादीगण द्वारा वर्ष 1995 में प्रतिवादी संख्या–01 से सम्पर्क कर निवदन किया कि भूमि बेडा ठिकाना से खरीद कर कब्जा वदीगण ने प्राप्त कर लिया है परन्तु खातेदारी आपके नाम से है अतः आप रजिस्ट्री वादीगण के पक्ष में कराओ। तब प्रतिवादी संख्या–01 ने कहा कि मेरा इस भूमि से कोई लेना–देना नहीं है, मैं रजिस्ट्री नहीं कराऊँगा, आप इसका उपयोग–उपभोग करते रहे तो मेरी ओर से कोई परेशानी नहीं होगी। वादीगण ने उपरोक्त भूमि खरीदने के बाद आपस में दोनों वादीगण ने मौके पर बंटवाडा भी कर दिया। जिस बंटवाडा के अनुसार देवगिरी जाने के रास्ते की तरफ की 1/2 हिस्सा की भूमि वादी संख्या–01 का हक व बंट रहा तथा हनुमानजी के मंदिर के पीछे की 1/2 हिस्सा

पेज लगातार.....02

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

की भूमि वादी संख्या–02 के बंट की रही । दोनो वादीगण अपने–अपने बंट की भूमि पर नजरी नक्शा में वर्णित अनुसार मौके पर काबिज है। इस प्रकार वादीगण द्वारा वर्ष 1995 में भूमि खरीदने के बाद खरीदशुदा भूमि पर अलग–अलग धोरा पाली की तथा मौके पर मकान एवं ट्यूबवैल आदि का भी निर्माण किया तथा बिना किसी रोक–टोक के इस भूमि पर खेती की जा रही है, जिससे विधि अनुसार वादीगण खातेदार घोषित हो चुके हैं। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री के साथ विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वादपत्र के समर्थन में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 की प्रति प्रदर्श– EX-1A, नकल नक्शा ट्रैस प्रदर्श– EX-2A , तथा नजरी नक्शा प्रति प्रदर्श– EX-3 भी पेश किये गये। इन अभिलेखीय साक्ष्यो के अतिरिक्त बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह P.W-01 श्री गजाराम पुत्र वागाजी आयु 65 वर्ष जाति देवासी निवासी मोरीगांव, गवाह P.W-02 श्री भगताराम पुत्र चौपारामजी आयु 72 वर्ष जाति देवासी निवासी मोरीगांव, गवाह P.W-03 श्री वीराराम पुत्र भबुताजी आयु 85 वर्ष जाति देवासी निवासी मोरीगांव, गवाह P.W-04 श्री कनाराम पुत्र छोगाजी आयु 55 वर्ष जाति मीणा निवासी रेला बेडा के बयान कलमबद्ध कराये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या–01 बावजूद सम्मन तामील के न्यायालय में वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं।

प्रतिवादी संख्या–02 पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्ति के पश्चात् वादी पक्ष की साक्ष्य ली गई तथा प्रतिवादी पक्ष द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने से पत्रावली को बहस के लिये रखा गया। इस दोरान् वादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 26 नियम 09 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर वर्णित भूमि की मौका रिपोर्ट तलब किये जाने का निवेदन किया। जिस प्रार्थना पत्र को वकुलाय को सुनने के पश्चात् निरीक्षक भू–अभिलेख बेडा एवं पटवारी हल्का बेडा।। से मौका रिपोर्ट तलबी के आदेश दिये गये। न्यायालय आदेश की अनुपालना में निरीक्षक भू–अभिलेख बेडा एवं पटवारी हल्का बेडा।। द्वारा निम्नानुसार रिपोर्ट पेश की गईः–

वर्तमान राजस्व रेकर्ड ग्राम बेडा।। के अनुसार खसरा नंबर 3733 कुल रकबा 6.2600 हैक्टर एवं खसरा नंबर 3736 रकबा 2.6000 हैक्टर किस्म नहरी दोयम खातेदार विक्रमसिंह पुत्र ओमदाजी जाति माली गहलोत सा. सुमेरपुर खातेदार दर्ज है। वर्तमान में मौके पर खातेदार के स्थान पर अन्य का कब्जा काश्त है।

अडौस पडौस एवं वादीगण ने पूछताछ में बताया कि लगभग 10–12 वर्षों से मौके पर वादीगणों का ही कब्जा काश्त है। वर्तमान में वादी गजाराम पुत्र वागाजी जाति रेबारी का खसरा नंबर 3733 में लगभग 3.13 हैक्टर एवं खसरा नंबर 3736 में लगभग 1.40 हैक्टर भूमि पर कब्जा काश्त है। शेष भूमि पर अन्य का कब्जा काश्त रताराम पुत्र वागाजी का है।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा तलब की गई मौका रिपोर्ट निरीक्षक भू–अभिलेख बेडा एवं पटवारी हल्का बेडा।। से प्राप्त होने के पश्चात् उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी पक्ष श्री हिम्मत धनेरा ने बहस में वादपत्र में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि वादीगण वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1995 से खरीदशुदा भूमि के 1/2, 1/2 हिस्से पर वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार काबिज है, तथा भूमि खरीद के बाद वादग्रस्त भूमि में दोनो वादीगणो ने अपने–अपने हिस्से बंट की भूमियो में ट्यूब वैल का भी निर्माण कराया है, तथा मौके पर मकान भी बनाये है, जिस तथ्य को प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने भी अपनी मौका रिपोर्ट में स्वीकार किया है। प्रतिवादी संख्या–01 का मात्र अधिकार अभिलेखो में नाम दर्ज है, परन्तु मौके पर किसी प्रकार का कब्जा नही है, इस प्रकार वादीगण का वर्ष 1995 से बेरोक–टोक प्रतिवादी संख्या–01 की जानकारी में होते हुये कब्जा काश्त होने से वादीगण एडवर्स पजेशन

पेज लगातार.....03

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

के आधार पर खातेदारी घोषणा पाने के अधिकारी हो चुके है।

अतः वादीगण को उनकी खरीद शुदा भूमि मौजा बेडा द्वितीय के खसरा नंबर 3736 रकबा 5.80 हैक्टर मेंसे 2.60 हैक्टर एवं खसरा नंबर 3733 रकबा 6.26 हैक्टर संपुर्ण कुल रकबा 8.86 हैक्टर किस्म नहरी द्वितीय का वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने के साथ प्रतिवादीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने की दलील दीः–

उत्तर में– देवगिरी जाने का रास्ता
दक्षिण में– खातेदारी भूमि खसरा नंबर 3735, 3734 एवं मंदिर 3732/1 खोदारी भूमि 3732
पुर्व में– बाली पिण्डवाडा सडक
पश्चिम में– खसरा नम्बर 3736/1 की खातेदारी भूमि रकबा 3.20 हैक्टर, जो श्रीमति भंवरीदेवी पत्नि प्रकाशकुमार ब्राहमण भाटून्द की भूमि

अपनी दलीलो के समर्थन में विद्वान् वकील वादी पक्ष द्वारा न्यायिक दृष्टान्त ए. आई.आर. 2020 सुप्रिम कोर्ट बअनवान रविन्द्र कौर वगैरा बनाम मनजीत कौर वगैरा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 2020 को पारित निर्णय की प्रति पेश की।

पत्रावली व उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। विद्वान् वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत कानूनी दृष्टान्त में प्रतिवादित सिद्वान्तो पर भी मनन किया गया। उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन एवं प्रस्तुत कानूनी दृष्टान्त प्रतिपादित सिद्वान्त पर मनन के पश्चात् वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 के तहत वादीगण को उनकी खरीद शुदा निम्न पाडौस वर्णित भूमि मौजा बेडा द्वितीय के खसरा नंबर 3736 रकबा 5.80 हैक्टर मेंसे 2.60 हैक्टर एवं खसरा नंबर 3733 रकबा 6.26 हैक्टर संपुर्ण कुल रकबा 8.86 हैक्टर किस्म नहरी द्वितीय का वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार वादीगण को बहिस्सा बराबर 1/2, 1/2 का खातेदार घोषित किया जाता हैः–

उत्तर में– देवगिरी जाने का रास्ता
दक्षिण में– खातेदारी भूमि खसरा नंबर 3735, 3734 एवं मंदिर 3732/1 खोदारी भूमि 3732
पुर्व में– बाली पिण्डवाडा सडक
पश्चिम में– खसरा नम्बर 3736/1 की खातेदारी भूमि रकबा 3.20 हैक्टर, जो श्रीमति भंवरीदेवी पत्नि प्रकाशकुमार ब्राहमण भाटून्द की भूमि

वादपत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावें। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुरूप रिकॉर्ड में अमलदरामद के साथ नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बेडा द्वितीय को पालनार्थ भिजवाई जावे।

उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली

(दिनेश बिश्नोई)
आर.ए.एस.,
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 24-02-21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री वमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. गजाराम पुत्र वागाजी
2. रताराम पुत्र वागाजी जातिगण देवासी
   निवासीगण मोरीगांव तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. विक्रमसिंह पुत्र ओमदाजी जाति माली
   निवासी ऑटो युनियन जवाई बांध रोड, सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2018/002200

वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व पेरोकार सरकार मिनजानिब मुद्दई व ..... मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 के तहत वादीगण को उनकी खरीद शुदा निम्न पाडौस वर्णित भूमि मौजा बेडा द्वितीय के खसरा नंबर 3736 रकबा 5.80 हैक्टर मेंसे 2.60 हैक्टर एवं खसरा नंबर 3733 रकबा 6.26 हैक्टर संपुर्ण कुल रकबा 8.86 हैक्टर किस्म नहरी द्वितीय का वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार वादीगण को बहिस्सा बराबर 1/2, 1/2 को खातेदार घोषित किया जाता हैं:–

उत्तर में– देवगिरी जाने का रास्ता
दक्षिण में– खातेदारी भूमि खसरा नंबर 3735, 3734 एवं मंदिर 3732/1 खोदारी
भूमि 3732
पुर्व में– बाली पिण्डवाडा सडक
पश्चिम में– खसरा नम्बर 3736/1 की खातेदारी भूमि रकबा 3.20 हैक्टर, जो
श्रीमति भंवरीदेवी पत्नि प्रकाशकुमार ब्राहमण भाटून्द की भूमि

वादपत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावें। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुरूप रिकॉर्ड में अमलदरामद के साथ नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बेडा द्वितीय को पालनार्थ भिजवाई जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24-02-26 को जारी की गई।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली

दिनेश विश्नोई
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

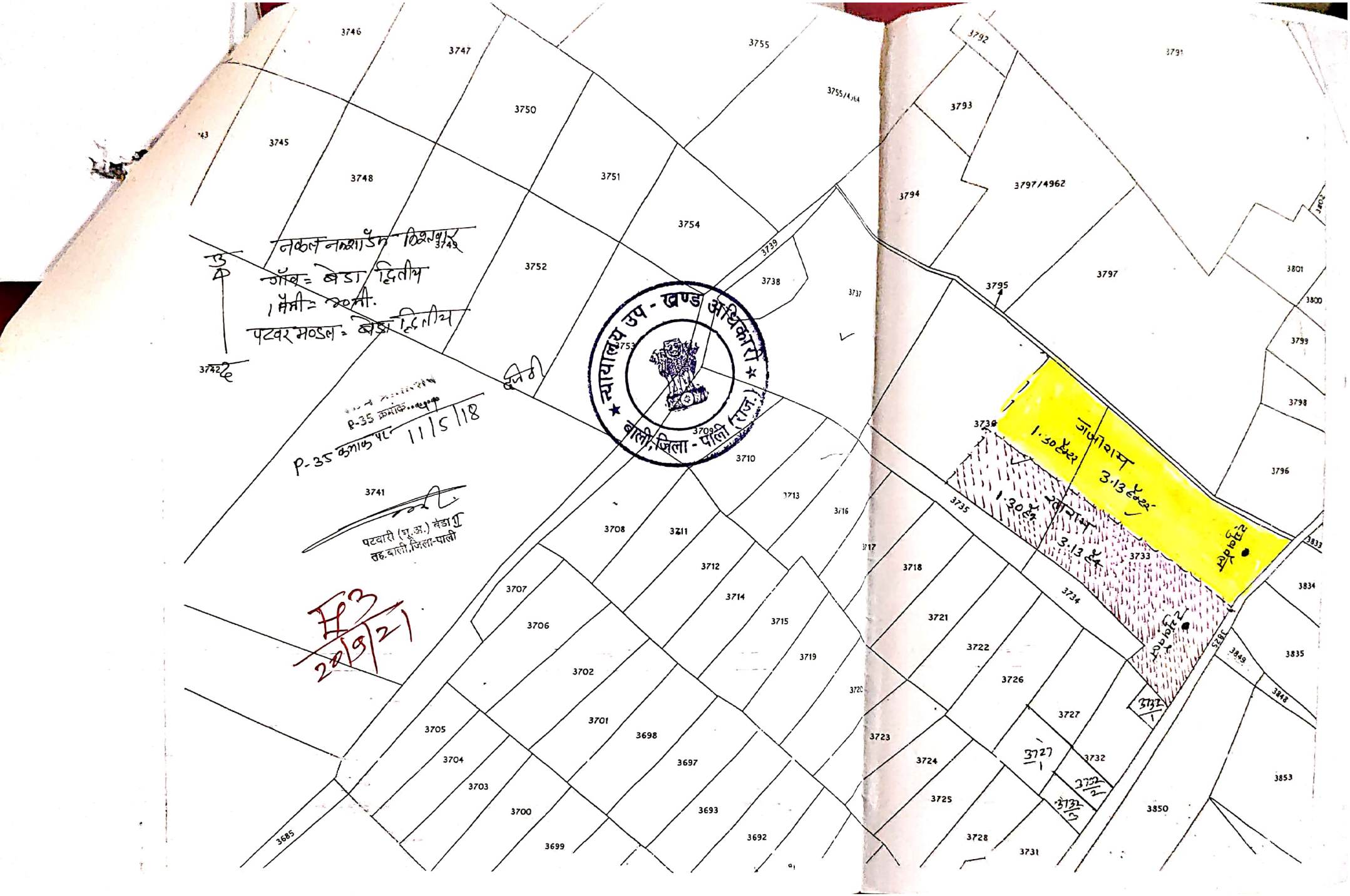

Scanned with OKEN Scanner